



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 716/2008

याचिकाकर्ता :

श्री शरद चंद मालू (जैन), पिता श्री भीखम जैन, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी गांधी चौक, महासमुंद, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, नगर एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महासमुंद (छ.ग.)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

श्रीमती रेनू कोचर, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

श्री सुमेश बजाज, उत्तरवादीगण के लिए शासकीय अधिवक्ता।



// मौखिक आदेश //

(दिनांक 05.02.2008 को पारित किया गया)

1. याचिकाकर्ता ने एक परमादेश रिट जारी करने की मांग की है जिसमें उत्तरवादीगण को नेहरू चौक से गांधी चौक, महासमुंद्र के मार्ग पर स्थित खसरा क्रमांक 1273, क्षेत्रफल 3784 वर्ग फुट वाले पुराने कांजी हाउस की खुली भूमि की नीलामी हेतु दिनांक 22.02.2000 को आयोजित खुली नीलामी में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली को स्वीकार करने का आदेश दिया जाये।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी परंतु उत्तरवादी क्रमांक 3 ने विवादित भूमि के विक्रय हेतु याचिकाकर्ता की उच्चतम बोली को स्वीकार करके नीलामी पूर्ण नहीं की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि नगर पालिका के पार्षदों के बीच आंतरिक विवाद के कारण, दिनांक 22.02.2000 को आयोजित खुली नीलामी को प्रभावी नहीं किया जा सका और किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटित नहीं की गई।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका नीलामी की तिथि अर्थात् दिनांक 22.02.2000 के लगभग 8 वर्ष बाद दिनांक 31.01.2008 को प्रस्तुत की है। इस प्रश्न पर कि इतनी विलंबित याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से जब किसी अधिकार का कोई आभास न हो, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान





अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन देने और आवेदन लिखने में लगा हुआ था। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता ने लगभग 8 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, इसलिए यह याचिका विलंबित नहीं है। क्या याचिकाकर्ता ने केवल नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने मात्र से कोई वैधानिक या विधिक अधिकार प्राप्त कर लिया है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

4. मैंने याचिकाकर्ता के साथ-साथ उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है। यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित करके नीलामी को अंतिम रूप देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के आधार पर कोई भी ऐसा वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं किया है कि वह 8 वर्ष के अकारण, अत्यधिक विलंब के बाद विलंब से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परिकल्पित असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इस न्यायालय की शरण ले।

5. याचिकाकर्ता ने लगभग 8 वर्ष के अत्यधिक और अकारण विलंब के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पी.एस. सदाशिवस्वामी विरुद्ध तमिलनाडु राज्य (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2271) के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"ऐसा नहीं है कि न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिसीमा की कोई अवधि है, न ही



ऐसा है कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं हो सकता जहाँ न्यायालय समय बीत जाने के बाद किसी प्रकरण में हस्तक्षेप न कर सके। परंतु उन व्यक्तियों के प्रकरण में जो अनुतोष के लिए शीघ्रता से न्यायालय नहीं आते हैं और जो चुपचाप देखते रहते हैं और घटनाओं को होने देते हैं और फिर पुराने दावों को सामने रखने के लिए न्यायालय आते हैं और विनिश्चित प्रकरणों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।”

6. न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करना विवेक का एक सुदृढ़ और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध नंदलाल जायसवाल** **{(1986) 4 एस.सी.सी. 566}**, जिसका अवलंब **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के. थंगप्पन एवं अन्य** **{(2006) 4 एस.सी.सी. 322}** के प्रकरण में लिया गया था, में अभिनिर्धारित किया कि यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सामान्यतः सुस्त, आलसी या मौन सहमति रखने वाले और ढीले व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है क्योंकि विलंबित दृष्टिकोण का प्रभाव न केवल कठिनाई और असुविधा पहुँचाने वाला हो सकता है अपितु तीसरे पक्षकारों के साथ अन्याय भी कर सकता है।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में और विधि की सुस्थापित स्थिति को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी न्यायोचित कारण के 8 वर्ष की अवधि के बाद इस न्यायालय का रुख किया है, यह याचिका खारिज होने योग्य है और इसे संक्षिप्ततः खारिज किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।





सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

